मूल वाद संख्या 100/2021
कम्प्यूटराईज संख्या 33/2021
शिवदुर्गा मन्दिर बनाम अंकुर

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 167 ग, 177 ग व 194 ग

08.08.2023-

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 167 ग,177 ग व 194 ग हेतु नियत है।

2- प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2021 के विरुद्ध आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. को रिकाल किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति समय से तैयार कर ली गई थी, परन्तु आपत्ति के साथ संलग्न विपक्षी के शपथपत्र को आथ–कमिश्नर कार्यालय में लेजाकर शपथपत्र को आथ–कमिश्नर से तस्दी कराने गये परन्तु आथ–कमिश्नर के कार्यालय में काफी अधिक संख्या में अन्य वादकारियों के उपस्थित होने के कारण विपक्षीगणों के शपथपत्र को तस्दीक कराने में काफी समय लग गया जिस कारण उक्त प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता आपत्ति लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पहुँत कर पता चला की उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश हो चुका है जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षगणों की अनुपस्थित के कारण उक्त वाद को प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक पक्षिय सुनवाई हेतु आदेश पारित कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की कोई गलती नहीं की गयी है ऐसी अवस्था में उक्त पत्रावली पर पारित एक पक्षिय आदेश दिनांक 22.10.2021 को रिकाल किया जाना आति आवश्यक है, अतः आदेश दिनांक 22.10.2021 को रिकाल किये जाने की याचना की गयी।

3- प्रतिवादी संख्या 08 के द्वारा एक भी प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2021 को आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा इस वाद में दिनांक 19.02.2021 को अपना वकालतनामा दाखिल किया है। प्रकरण में दिनांक 19.03.2021 की अग्रिम तिथि नियुक्त की गयी थी। प्रतिवादी पेश से दुकानदार है और कन्फैक्शनरी व राशन का व्यवसाय करता है व बामुश्किल अपना गुजारा करता है। अप्रैल–मई माह 2021 में कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हो गया था और उससे वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया था, इस कारण अदालत में हाजिर होकर अपने उक्त वाद में पैरवी करने में असमर्थ था तथा इस दौरान वह अपने अधिवक्ता से भी कोई सम्पर्क नहीं कर पाया था, जिससे उसे इस वाद की अग्रिम तिथि की कोई जानकारी नहीं हो पायी थी। प्रतिवादी के मौहल्ले के लोगों से अपने विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 20.10.2021 की जानकारी दिनांक 01.12.2021 को हुई तथा उसे यह भी पता चला कि इस वाद में अग्रिम तिथि दिनांक 02.12.2021 नियत है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वाद में जानबूझकर हाजिर होने में कोई देरी नहीं की है, जो भी देरी है, वह परिस्थितिवश है। प्रतिवादी का उपरोक्त वाद में जवाब दावा दाखिल किया जाना न्यायाहित में अति आवश्यक है क्योंकि भी उसे बतौर पक्षकार इस वाद में अपना पक्ष रखने का कानून सम्मत अधिकार प्राप्त है, अतः आदेश दिनांक 22.10.2021 को रिकाल किये जाने की याचना की गयी।

4- वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी आपत्ति कागज संख्या 196 ग दिनांक 02.12.2021 को न्यायालय में मय शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. को असत्य एवं बिना आधार पर प्रस्तुत किया जाना कहा है। प्रस्तुत वाद दिनांक 22.01.2021 को योजित किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा सम्मन प्रतिवादीगण पर तामील होने पर उनकी का प्रार्थना पर कागज संख्या 6 ग 2 पर आपत्ति आहुत करते हुए दिनांक 02.03.2021 निश्चित की थी तथा कमिशन की

आख्या भी मंगायी गयी थी। प्रतिवादीगण पर नोटिस की तामिला होने के उपरांत उन्होंने वाद पत्र की कापियाँ दिनांक 02.02.2021 को प्राप्त कर ली व दिनांक 19.02.2021 प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु निश्चित की गयी, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु समय चाहे जाने की प्रार्थना की तथा दिनांक 19.03.2021 निश्चित की गयी। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवाद पत्र प आपत्ति दाखिल करने हेतु न्यायालय द्वारा लगातार समय दिनांक 30.03.2021, 23.04.2021, 28.05.2021, 06.08.2021, 15.09.2021 दिया गया तथा दिनांक 22.10.2021 नियत की गयी, परन्तु जानबूझकर प्रतिवादीगण ने प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया। तदोपरांत न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षिय रूप से चलाये जाने हेतु आदेश दिनांक 22.10.2021 पारित किया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. में दिये गये आधार असत्य हैं तथा प्रतिवादीगण ने 11 माह का समय तिथियाँ लेने में ही गुजार दिया है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादी व पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक प्रक्रिया भी योजित की हुई है। तथा याचना की है कि प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाये।

5– सुना, पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा प्रतिवादी द्वारी दिये गये प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का परिशीलन किया।

6– न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को आपत्ति एवं प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु लगभग 11 माह का समय उनकी याचना पर दिया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा समयावधि में प्रतिवादीपत्र दाखिल नहीं किया जाने व वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध आदेश दिनांक 22.10.2021 से एकपक्षिय रुप से चलाये जाने हेतु निश्चित की गयी।

7– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना न्याय के उद्देश्य की पूरति हेतु सही है। उक्त आदेश दिनांक 22.10.2021 से प्रतिवादीगण के अधिकारों का हनन होना निश्चित है। वाद का निस्तारण मात्र तकनीकी आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक की वादी को हुई असुविधा का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

8– आदेश दिनांक 22.10.2021 के विरुद्ध प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, आदेश को रिकाल किये जाने हेतु नियत समयावधि 30 दिन से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था। न्याय के उद्देश्य हेतु प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 22.10.2021 को रिकाल कराये जाने हेतु अंकन 3000/– (तीन हजार रुपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई कागज संख्या 6 ग 2 दिनांक 30.08.2023 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)
अपर जिला जज, कोर्ट संख्या 05
गाजियाबाद।